Phone 01437-225212,220162,220177
Fax +91-1437-220163

केन्द्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान
अविकानगर (तहसील-मालपुरा, जिला-टोंक) वाया जयपुर राजस्थान (भारत) 304501

CENTRAL SHEEP & WOOL RESEARCH INSTITUTE
AVIKANAGAR (TEHSIL-MALPURA DISTT. TONK) VIA: JAIPUR RAJASTHAN (INDIA) 304501

Registered

Qk0 l0 5(20)जी/72/प्र1/वो 8/ fnukad% 30 &07&2016

fufeRr% eSllZ &&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

fo"k;% संस्थान के जलपान-गृह को अनुबन्ध के आधार पर संचालन करने के लिये dkWUVªsDVj pk;uus ds lEca/k esa A

egksn;]

mijksDr fo"k; esa ys[k gS fd संस्थान के जलपान-गृह को अनुबन्ध के आधार पर संचालन करने के लिये खादय सामग्री का अनुज्ञा पत्र (फूड लाईसेन्स) , पेनकार्ड धारी एवं इस कार्य हेतु vuqHko j[kus okyh फर्मों ls U;wure njksa ij dkWUVªsDVj vkefU=r fd, tkrs gSA

vr% vkils vuqjks/k gS fd layXu dkWUVªsDVj i=i= esa nj̀kkbZ xbZ fu;e ,oa 'krksZ dk voyksdu djrs gq, dkWUVªsDVj i=i= esa nj̀kk;s vuqlkj संस्थान के जलपान-गृह को अनुबन्ध के आधार पर संचालन करने के लिये viuh U;wure ,oa mfpr nj layXu i=i= esa nj̀kk;s vuqlkj fnukad 22&8&2016 vijkUg 1&00 cts rd vko';d :i ls fHktok;sA izkIr dkWUVªsDVjksa dks mDr frfFk dks vijkUg 3&00 cts xfBr lfefr }kjk [kksys tkosxsA ;g lwpuk laLFkku dh lkbV u0 www.cswri.res.in ij Hkh miyC/k gSA

Hkonh;

¼jkeiky oekZ½
Lkgk;d iz'kklfud vf/kdkjh

वितरण :

1. सभी सूचना पट्ट (प्र ाासनिक भवन, पुस्तकालय भवन, ए.पी.बी. लेब बिल्डींग, भॉपिंग सेन्टर, केन्टीन ब्लॉक)
2. प्रभारी, ए.के.एम. यूनिट को सूचनार्थ एवं वेब साईट पर प्रसारण हेतु।
3. प्रभारी, भण्डार अनुभाग।
4. सूचना पट्ट नगरपालिका, मालपुरा, पंचायत समिति, मालपुरा, कृशि उपज मण्डी, मालपुरा, ग्रामपंचायत, चाँदसेन

केन्द्रीय भेड एवं ऊन अनुसंधान संस्थान

अविकानगर-त0-मालपुरा-टोंक-राजस्थान

कोटेशन प्र-पत्र सूची

1-भरी हुये कोटेशन प्र-पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि: दिनांक 22-8-2016 को दोपहर बाद 1-00 बजे तक

2-निविदा खोलने की अंतिम तिथि : दिनांक 22-8-2016 को दोपहर बाद 3-00 बजे से

3-अमानत राशि : 2,000-00 रूपये

4- कोटेशन की मान्य अवधि : 90 दिन

विवरण				
जलपानगृह मे चाय, मिठाई, नमकीन, कचोरी, समोसा, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक्स भोजन को छोडकर आदि तैयार करने व रखने एवं संस्थान/ परिषद के कर्मचरियों / अधिकारियों, उनके सदस्यों, मेहमानों, प्रशिक्षणार्थियों स्नाकोत्तर छात्रों व संस्थान में बाहर से आनेवाले मेहमानों (आगन्तुकों) आदि को आपूर्ति करने के लिये अनुबन्ध				
क्र0सं0	वस्तु का नाम	मात्रा / नग	दर अंको में	दर शब्दों में
1.	रेडीमेड चाय	प्रति कप - 125 मिली लीटर		
2.	चाय 1/2 सेट	तीन कप		
3.	चाय पूरा सेट	छः कप		
4.	दूध	प्रति गिलास - 200 मिली लीटर		
5.	कॉफी	प्रति कप - 125 मिली लीटर		
6.	समोसा	प्रति नग - 75 ग्राम		
7.	कचोरी	प्रति नग - 50 ग्राम		
8.	मठरी	प्रति नग 20 ग्राम		
9.	ब्रेड पकोडा (एक स्लाइस)	प्रति नग		
10.	कटलेट आलू की टिकिया	प्रति नग - 50 ग्राम		
11.	आमलेट सिंगल	एक अण्डे का		
12.	आमलेट डबल	दो अण्डों का		
13.	उबला अण्डा	प्रति नग		
14.	कोल्ड ड्रिन्क (लिम्का,थम्सअप आदि)	प्रति बोतल		
15.	पराठा मसाले वाला	प्रति नग		
16.	पराठा सादा	प्रति नग		
17.	नमकीन (हाथ की बनाई हुई)	प्रति किलोग्राम		
18.	बर्फी (खोया)	प्रति किलोग्राम		
19.	केसर बर्फी	प्रति किलोग्राम		
20.	जलेबी	प्रति किलोग्राम		
21.	लड्डू (नुकती के)	प्रति किलोग्राम		
22.	गुलाब जामुन	प्रति किलोग्राम		

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैनें निविदा में दर्शायी गई सभी नियम व शर्ते भली-भांति पढली है तथा मुझे पूर्णरूप से स्वीकार है। मै उपरोक्त दर्शायी गई दरों पर संस्थान के विभागीय जलपान-गृह सें संबंधित कार्य को अनुबन्ध पर करने के लिए सहमत हूँ । मै यह वचन देता हूं कि प्रभारी, जलपान-गृह या उनके प्रतिनिधि से समय-2 पर सम्पर्क करके उनके निंशानुसार अनुबन्ध कार्य करता रहूंगा तथा मै अनुबन्ध कार्य में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नही करूंगा । संस्थान के अध्किारियों / कर्मचारियों से व्यवहार कुशल पूर्वक रखूंगा । यदि मेरे या प्रतिनिधियों द्वारा अनुबनध कार्य मे किसी प्रकार का व्यवधान / हसतक्षेप करने / या उनके द्वारा बताये जाने वाले कार्य को करने के लिये मना आदि करता हूं तो मेरे द्वारा जमा करवाई जाने वाली अमानत / जमानत राशि को अब्त करके अनुबन्ध को निरस्त किया जा सकता हें जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी मेरी होगी ।

दिनांक--------

हस्ताक्षर ठेकेदार/फर्म प्रतिनिधि मय सील

पूरा पता

टेलीफोन / मो0नं0

संस्थान के जलपान-गृह को अनुबन्ध के आधार पर संचालन आदि कार्य की नियम एवं शर्तें :

1- कोटेशन इस संस्थ।ान द्वारा जारी प्रदत प्रपत्र पर ही स्वीकार की जाएगी। कोटेशन संस्थान के निदेशक महोदय के नाम क्रय व भण्डार अनुभाग में दिनांक 22-8-2016 समय 1-00 बजे (दोपहर बाद) तक प्रस्तुत करना है । सशर्त, तार द्वारा भेजी गई तथा देरी से प्राप्त निविदा स्वीकार नही की जाएगी। साथ ही ठेकेदार के पास पेन कार्ड होना आवश्यक है एवं पेन कार्ड की फोटो प्रति निविदा के साथ लगाना आवश्यक है। बिना पेन कार्ड के कोटेशन स्वीकार नही किया जावेगा ।

2- संस्थान के जलपान-गृह को अनुबन्ध के आधार पर संचालन से सम्बन्धित आदि के अनुबन्ध कार्य हेतु न्यूनतम एवं उचित दर ही स्वीकार की जायेगी। यदि आवश्यक समझा गया तो दर के बारे में आपसी बातचीत (नेगोसियसन) भी किया जा सकता है। प्राप्त सभी मदों की दरों को ध्यान में रखते हुये ओवलआल न्यूनतम दरदाता को ही अनुबंध दिया जावेगा ।

3- ठेकेदार को निर्धारित कोटेशन प्रपत्र के साथ 2,000/- रूपये (अंके दो हजार रूपये मात्र) बतोर अमानत राशि डी0डी0 (जो कि ñICAR UNIT CSWRI, AVIKANAGARò MALPURA के नाम से देय हो) द्वारा ही प्राप्त की जावेगी।(किसी भी हालत में अमानत राशि नगद जमा नही की जावेगी) तथा भरी हुई कोटेशन के साथ डी0डी0 सलग्न करना आवश्यक है बिना अमानत राशि के कोई कोटेशन स्वीकार नही की जावेगी। साथ ही आयकर व बैंक खाता संख्या भी अंकित करना आवश्यक होगा ।

4- संस्थ।ान के किसी कार्य में ठेकेदार की ओर से किसी भी तरह का व्यवधान या नुकसान करने पर अनुबन्ध को निश्चित समय अवधि से पूर्व समाप्त किया जा सकता है। ऐसी परिस्थिति में जमानत राशि जब्त कर ली जायेगी। और नुकसान की भरपाई ठेकेदार से वसूल की जावेगी।

5- अनुबन्ध की अवधि कार्य आदेश की तिथि से एक वर्ष तक रहेगी। कार्य सन्तोषजनक व समय पर पूर्ण होने पर यदि आवश यक हुआ तो संस्थान द्वारा अुबन्ध की अवधि आपसी सहमति से वर्तमान दर, नियम व शर्तो पर आगे भी बढाई जा सकती है। कार्य सन्तोषजनक नही रहने पर अनुबन्ध को समय से पूर्व ही बिना सूचना के रद्द किया जा सकता है।

6- ठेकेदार के पास स्वयं के नाम से राज्य सरकार के नियमों के अनुसार खाद्य सामग्री रखने, तैयार करने व विक्रय करने का अनुज्ञा पत्र (फूड लाइसेंस) होना चाहिये। यदि निविदा भरते समय कोटेशन दाता के पास अनुज्ञा पत्र (फूड लाइसेंस) नही होतो कोटेशन स्वीकृत होने के पूर्व एक सप्ताह के अन्दर-2 उसे राज्य सरकार के अधिकृत नियमानुसार अनुज्ञा पत्र (फूड लाइसेंस) अपने स्तर पर प्राप्त करके कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा उसके बाद ही जलपानगृह के संचालन का आदेश जारी किया जावेगा।

7- कोटेशन दाता को जलपान-गृह भवन के रसोईघर व भोजनकक्ष के साथ भण्डार गृह में खाद्य सामग्री एवं पेय पदार्थ (नशे वाले पेय को छोडकर) रखने, पकाने, तैयार करने, आपूर्ति करने एवं विक्रय करने के लिये अनुज्ञा दी जावेगी। उक्त सामानों को रखने, पकाने, तैयार करने, परोसन, आदि का कार्य कोटेशनदाता या उसके द्वारा लगाये जाने वाले प्रतिनिधि का होगा। संस्थान के भवनो में प्रवेश व निकास का अधिकार कोटेशन दाता के वास्तविक कर्मचारी / प्रतिनिधि को निर्धारित सामानों की आपूर्ति करने के लिये होगा।

9- जलपान-गृह चलाने का अनुबंध एक वर्ष के लिये होगा, तथा आगे चलाने हेतु सफल ठेकेदार के तरीके, व्यवहार, खाद्य सामग्री की गुणवत्ता, साफ-सफाई आदि के सन्तोषजनक पाये जाने पर आपसी सहमहत से एक वर्ष के लिये बढाया जा सकता है। यदि अनुबन्ध के दौरान ठेकेदार के तरीके, व्यवहार, खाद्य सामग्री की गुणवत्ता, साफ-सफाई आदि सन्तोष-जनक नही पाई जाती है तो अनुबन्ध को अवधि से पूर्व भी रद्द किया जा सकता है या दो सप्ताह का नोटिसे देकर समाप्त / रद्द किया जा सकता है।

10- ग्राहक (संस्थान के अधिकारी / कर्मचारीगण) द्वारा भुगतान करने पर प्रो-फार्मा में दर्शाये गये खाद्य / पेय पदार्थ निर्धारित दर एवं मात्रा अनुसार की आपूर्ति किये जावेगें। परोसे /आपूर्ति/विक्रय किये जाने वाले सामान कोटेशन प्रो-फार्मा के सलग्न सूची प्र-पत्र में दर्शाये गये सामानों के अनुसार ही होगों।

11- जलपान-गृह में आपूर्ति किये जाने वाले सामान उच्च गुणवत्ता (प्रभारी, जलपान-गृह द्वारा सुझाई / निर्धारित की गई गुणवत्ता) वाले होगें। प्रभारी, जलपान-गृह, सक्षम अधिकारी अथवा उसके प्रतिनिधि कभी भी जलपान-गृह में आकर खाद्य/पेय सामग्री का निरीक्षण कर सकते हैं एवं उनके द्वारा छात्रावास में प्रयोग / आपूर्ति किये जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता का स्तर सुधारने के लिये लिया गया निर्णय ठेकेदार को मान्य होगा। साथ ही राज्य सरकार के स्वास्थ्य अधिकारियों को भी खाद्य सामग्री का निरीक्षण करने का पूर्ण अधिकार होगा।

12- ठेकेदार को डायनिंगहाल व रसोई के लिये पर्याप्त मात्रा में रसोइये कर्मचारी लगाने होगें। ठेकेदार की यह जिम्मेदारी होगी कि ड्यूटी पर उपस्थित रसोइये / सेवक आदि किसी सांसग्रिक अथवा संक्रामक रोग से पीडित नही हो, निर्धारित यूनीफार्म में हो तथा कर्मचारियों/अधिकारियों/मेहमानों आदि से बातचीत / व्यवहार मे विनम्रता, ईमानदारी, संयमी एवं शिष्ट हो। ठेकेदार अथवा उसके कर्मचारियों द्वारा किसी प्रकार की अवज्ञा / अवहेलना करने की स्थिति में अनुज्ञा-पत्र को निरस्त किया जा सकता है।

13- ठेकेदार द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को जलपान-गृह हस्तांतरित नही करेगा । ठेकेदार की आकस्मिक घटना होने पर अनुबन्ध तुरन्त प्रभाव से निरस्त माना जावेगा चाहे अनुबन्ध की अवधि कितनी ही शेष रही हो।

14- जलपान-गृह का कार्य समय सुबह 6-00 बजे से सांय 6-00 बजे तक रहेगा लेकिन सक्षम अधिकारी द्वारा जलपान-गृह के समय में परिवर्तन किया जा सकता है जिसे ठेकेदार को मानना होगा।

15- ठेकेदार द्वारा खाद्य / पेय सामग्री जलपान-गृह हाल में ही परोसी जावेगी न कि जलपान-गृह के बाहर (केवल चाय ट्रे /केतली में विभिन्न अनुभागों / विभागों में आपूर्ति हेतु लाई जा सकती है)।

16- अधिकारी / कर्मचारियों आदि के द्वारा ली गई सामग्री का भुगतान नगद लिया जावेगा या उधार में लिया जावेगा वह ठेकेदार अपने स्तर पर व्यवस्था करेगा ।उधार दिये गये भुगतान मके संबंध में किसी भी विवाद के लिये संस्थान जिम्मेदार नहीं होगा ।

17- खाद्य साम्रगी की गुणवत्ता, सफाई आदि का निरीक्षण करने एवं छात्रावास के अन्य मामलों को देखने के लिये निदेशक महोदय द्वारा गठित जलपान-गृह समिति की बैठक में समिति द्वारा बुलाया जाता है तो ठेकेदार को समिति की बैठक में उपस्थित होना अनिवार्य होगा समिति द्वारा जलपान-गृह के अनुबन्ध कें सम्बन्ध में दिये जाने वाले सुझावों को मानकर उनका पूर्ण पालन करना होगा।

18- संस्थान के सक्षम अधिकारी की समय-2 पर अनुबन्ध कार्य की समीक्षा करने का अधिकार होगा तथा किसी भी समय यह पाया जाता है कि ठेकेदार अनुबन्ध की नियम एवं शर्तो के अनुसार छात्रावास का संचालन नही कर रहा हैं या नियम व शर्तो में ढिलाई बरत रहा है या उसका कार्य सन्तोषप्रद नही हैं ऐसी स्थिति में अनुबन्ध की अवधि कम की जा सकती है या अनुबन्ध तुरन्त प्रभाव से निरस्त किया जा सकता है साथ ही ठेकेदार द्वारा जमा करवाई गई जमानत राशि भी जब्त की जा सकती हैं जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार की होगी।

19- ठेकेदार को जलपान-गृह काउन्टर पर शिकायत / सुझाव पुस्तिका रखनी होगी जिसमें संस्थान के अधिकारी /कर्मचारी / मेहमान आदि शिकायत / सुझाव लिख सकेगें तथा इस पुस्तिका को छात्रावास समिति द्वारा समय-2 पर अवलोकन किया जावेगा।

20- ठेकेदार को अनुबन्ध की अवधि के दौरान जलपान-गृह भवन, फर्नीचर आदि संस्थान द्वारा उपलब्ध कराये जावेगें जिसकी देखभाल व उचित रख-रखाव की जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार की होगी।

21- ठेकेदार को जलपान-गृह संचालन को अनुबन्ध पर चलाने के लिये अनुबन्ध आदेश जारी होने की तिथि से अनुबन्ध शुल्क रूपये 150-00 (अंके एक सौ पचास रूपये मात्र) प्रति माह की दर से अनुबंध अवधि के दौरान अग्रिम जमा कराना होगा।

22- सफल ठेकेदार को फर्नीचर, जलपान-गृह भवन, फिक्सचर, गैस कनेक्शन, वाटर कुलर इत्यादि संस्थान द्वारा उपलब्ध करवाया जावेगा जिसकी जमानत राशि रूपये 5000-00 (अंके पांच हजार रूपये मात्र) जमा कराने होगें ।जिसे अनुबंध अवधि की समाप्ति के दो माह बाद लौटा दिया जावेगा ।

23- जलपान-गृह में ठेकेदार को किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य अथवा बदलाव आदि की अनुमति नही दी जावेगी। यदि किसी प्रकार निर्माण / बदलाव आवश्यक हुआ तो ठेकेदार को जलपान-गृह समिति के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि बिना अनुमति के निर्माण / बदलाव किया गया तो अनुबन्ध तुरन्त प्रभाव से निरस्त कर दिया जावेगा साथ ही जमा जमानत राशि भी जब्त करली जावेगी।संस्थान की सम्पति को किसी प्रकार का नुकसान पहुचाने पर हर्जाना राशि की कटोती जमानत राशि में से की जा सकती हैं। अनुबन्ध की शर्तो को पूरा नही करने पर या कार्य सन्तोषजनक नही पाये जाने पर अनुबन्ध रद्द करने की स्थिति मे जमा जमानत राशि जब्त करली जावेगी।

24- ठेकेदार द्वारा जलपान-गृह के अन्दर (रसाई, भण्डार गृह व भोजनकक्ष में) हर समय सफाई का पूरा ध्यान रखेगा एवं राजस्थान सरकार (स्वास्थ्य विभाग) के मानको को पूरा करेगा। प्रत्येक कार्य दिवस को प्रात: 9-00 बजे एवं दोपहर बाद 2-30 बजे जलपान-गृह में झाडू/पौचा लगवाकर सफाई करवानी होगी तथा उस समय जलपान-गृह को बन्द रखे बिना ठेकेदार को सफाई करवानी होगी। सफाई की व्यवस्था ठीक नही रखनें पर एवं खाद्य सामग्री की गुणवत्ता पर ध्यान नही देने पर अनुबन्ध को दो सप्ताह का नोटिस देकर समाप्त किया जा सकता हैं। इस सम्बन्ध में सस्थान के निदेशक महोदय का निर्णय अन्तिम माना जावेगा।

25- जलपान-गृह के अन्दर खाद्य / पेय सामग्री बनाने / तैयार करने के लिये ईंधन का इस्तेमाल करने की पूर्ण पाबन्दी रहेगी। केवल केरोसीन या एल0पी0जी0 गैस का प्रयोग करना होगा। गैस चूल्हे की व्यवस्था करने पर एल0पी0जी0 के एक/दो कनेक्श ान प्रति सिलेण्डर राशि (को-ओपरेटिव स्टोर, अविकानगर के मापदण्डों के अनुसार जो भी राशि हो) जमा कराने पर दिये जा सकते हैं। ये कनेक्शन केवल जलपान-गृह कार्य के लिये ही इस्तेमाल किये जा सकेगें। साथ ही आवश्यक सुरक्षा मापदंडों का पालन करने की जिम्मेदारी भी स्वयं ठेकेदार की होगी। सिलेण्डरों को नियमानुसार संस्थान के को-ओपरेटिव स्टोर से भराने की सुविधा प्रदान जावेगी परन्तु सिलेण्डरों को भरवाने की व्यवस्था स्वयं ठेकेदार की होगी।

26- जलपानगृह के अन्दर बिजली के बल्व/ट्यूबलाईटे आदि के खराब होने पर इन्हे बदलने की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। बिजली की फिटिंग, बल्व, ट्यूबलाईटे, पंखे आदि संस्थान की सम्पति होगी।

27- ठेकेदार को बिजली चार्जेज मीटर रीडिंग के आधार पर जैसा संस्थान द्वारा निश्चित किया जावेगा वह राशि प्रति मास जमा करवानी होगी।

28- ठेकेदार को अनुबन्घ की अवधि में भारत सरकार के प्रचलित श्रमिक कानूनों का पूर्ण पालन करना होगा। भारत सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत समय-2 पर निर्धारित दर से भुगतान करना होगा।श्रमिक को भुगतान करने की जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार की होगी।यदि भुगतान से सम्बन्धित किसी भी श्रमिक द्वारा कोई वाद/क्लेम न्यायालय में प्रस्तुत करने पर न्यायालय द्वारा तय की जाने वाली राशि का पूर्ण भुगतान करने की जिम्मेदारी भी स्वयं ठेकेदार की होगी। साथ ही बाल श्रमिक कानून का पूर्णतया पालन करना होगा ।

29- श्रमिकों के बारे में निर्धारित रजिस्टर /मस्टरोल आदि का रख-रखाव स्वयं ठेकेदार को करना होगा।

30- जलपान-गृह के मेस में प्रयोग में आनेवाले बर्तनों की व्यवस्था स्वयं ठेकेदार को करनी होगी। खाद्य / पेय सामग्री रखने/ बनाने/ परोसने आदि के लिये साफ बर्तनों का प्रयोग करना होगा। ठेकेदार को खाद्य / पेय सामग्री परोसने के बर्तनों को एक बार प्रयोग में आने के बाद विम पाउडर से साफ करके गर्म पानी से धुलाने की व्यवस्था रोजाना ठेकेदार को करनी होगी।

31- खाद्य / पेय सामग्री की दरों में संशोधन के प्रस्ताव पर एक वर्ष से पूर्व कोई भी विचार नही किया जावेगा। एक वर्ष के बाद दरों में संशोधन के प्रस्ताव पर ठेकेदार की कार्य कुशलता, बाजार में प्रचिलित दरों, सामग्री की गुणवत्ता एवं अन्य बातों को ध्यान में रखते हुये छात्रावास समिति की सिफारिश पर, विचार किया जा सकता है।

32- संस्थान के लिये यह आवश्यक नही होगा कि वह न्यूनतम दर प्रस्तुत करने वाले कोटेशन दाता के कोटेशन में दशाई गई दरों को स्वीकृत करें। कोटेशन स्वीकृत करने का निर्णय निविदादाता की आर्थिक स्थिति, उसके व्यवहार कुशलता, उसके पूर्व के रिकार्ड, उसकी ख्याति, उसके द्वारा दी गई दरें, उपयोग में लाई जाने वाली सामग्री एवं अन्य प्रभावित करने वाली बातों को ध्यान में रखते हुये लिया जावेगा एवं निदेशक महोदय द्वारा लिया गया निर्णय ही अंतिम व मान्य होगा।

33- सभी विवादों के निपटान का क्षेत्राधिकार अविकानगर,मालपुरा होगा ।किसी भी प्रकार का विवाद हो जाने पर सक्षम अधिकारी महोदय द्धारा लिया गया निर्णय अथवा सक्षम अधिकारी महोदय द्धारा नियुक्त आर्बिट्रेटर द्धारा लिये गये निर्णय मान्य होगा, जिसे दोनों पक्षों द्वारा मान्य होगा ।

34- (अ) उपरोक्त व्यवस्थाओं के अन्तर्गत / के सम्बन्ध में किसी प्रकार के प्रश्न, मतभेद या अन्तर की स्थिति में उन मामलों को छोडकर जिनका निपटारा अनुबन्ध की शर्तो के अन्तर्गत करने के प्रावधान है मामले को मध्यस्थता / पंच निर्णय हेतु सचिव, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली या उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को प्रेषित किया जायेगा। इस बात पर कोई आपत्ति नही होगी कि पंच /मध्यस्थ सरकारी / परिषद के कर्मचारी हैं एवं यह अनुज्ञा से सम्बन्धित मामलों का निष्पादन करता है या कि सरकारी /परिषद के कर्मचारी के रूप में मतभेद/अन्तर के मामलों पर राय प्रकट करना इसके कर्तव्यों में शामिल है । पंच / मध्यस्त का निणर्य अन्तिम एवं सभी को मान्य होगा।

(ब) पंच/मध्यस्त, पक्ष की सहमति से, समय समय पर निर्णय करने एवं उसके प्रकाशन के लिये निर्धारित अवधि का विस्तार कर सकता है।

(स) उपरोक्त इस वाक्य के अन्तर्गत पंच द्वारा कानूनी कार्यवाही में लगने वाली समय सीमा, पंच अधिनियम (आर्बीट्रेशन एक्ट) 1940 के प्रचिलित नियमो एवं समय समय पर उसमें हुये संशोधनों के अनुसार मानी जायेगी।

35- कोटेशन स्वीकृति सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदान करने के बाद ठेकेदार को उपरोक्त नियम व शर्तो पर जलपान-गृह चलाने के लिये अनुबन्ध आदेश दिया जावेगा।

36- जलपान-गृह / इससे सम्बन्धित अन्य कार्य के अनुबन्ध के दौरान किसी प्रकार की दुर्घटना हो जाने पर ठेकेदार/उनके प्रतिनिधि स्वयं जिम्मेदार होगें तथा सभी प्रकार की कानूनी कार्यवाही अपने स्तर पर स्वयं के खर्चे पर करनी होगी। तथा संस्थान द्वारा किसी भी प्रकार की सहायता/क्षतिपूर्ति राशि नही दी जावेगी।

37- कोटेशनदाता को केन्टीन चलाने का अनुभव होना चाहिये ।

38- इस संस्थान के निदेशक महोदय को बिना कोई कारण बताये एक या सभी कोटेशनों को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित होगा ।

39- सफल ठेकेदार को 100/- रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर कार्य को अनुबन्ध पर करने के लिये एग्रीमेन्ट देना होगा, जिसका प्रारूप क्रय अनुभाग से प्राप्त करना होगा।

40- सभी प्रतिनिधियों के परिचयपत्र सुरक्षा अनुभाग से बनवाने होंगें ।

41— आप द्वारा जमा करवाई गई जमानत रा ि अनुबन्ध कार्य सन्तोषजनक पूरा होने के उपरान्त 2 माह बाद वापिस देय होगी। यदि अनुबन्ध के दौरान आपका कार्य किसी भी प्रकार से असन्तोषजनक पाया गया तो आप द्वारा जमा करवाई गई जमानत रा ि को जब्त कर लिया जावेगा।

(निविदादाता के हस्ताक्षर)
नाम
पूरापता
मोबाइल नं

संलग्नकः

1. खादय सामग्री का अनुज्ञा पत्र (फूड लाईसेन्स)
2. पेन कार्ड की प्रतिलिपि।
3. 2,000/— रूपये का डिमान्ड ड्राफ्ट।
4. अनुभव प्रमाण पत्र यदि कोई हो तो।